(b) This would depend upon future vacancies in the respective colonies which cannot be foreseen with any amount of certainty.

(c) 52 quarters of Type 'C' have been allotted in Lodhi Colony on the basis of out of turn list. Out of turn allotments are sanctioned under Rule S.R.—317-B-25.

रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के कपों में चाय बेचे जाने के संबंध में निर्णय लेने वाले अधिकारियों के नाम

2303. **श्री सोहन लाल धूसिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने रेलवे स्टेशनों पर मंहगे दामों पर प्लास्टिक के कपों में चाय बेचे जाने का निर्णय लिया था, प्लास्टिक के गिलासों में चाय बेचे जाने का निर्णय किस तारीख को लिया गया तथा किस-किस रेलवे जोन में यह प्रथा कब से आरम्भ की गई ; और

(ख) कौन-कौन सी कम्पनियां किस-किस कीमत पर प्लास्टिक कप सप्लाई कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक के कप शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में 13-11-1987 को अनुदेश जारी किए गए थे । धीरे-धीरे यह प्रणाली सभी क्षेत्रीय रेलों पर शुरू कर दी गई है ।

(ख) कंपनियों के नाम और उनकी दरें नीचे दी गई हैं :—

कंपनी	दर
	रुपये (प्रति कप)
1. मैं० डिस-पक, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, मद्रास	0.26
2. ट्रोपिकल कप्स एण्ड कंटेनर प्राइवेट लि., बम्बई	0.30
3. सी.पी. प्लास्टिक्स प्राइवेट लि., बम्बई	0.30
4. मैं० डागा प्लास्टिक, जलगांव	0.30

Setting up of a South West Railway Zone at Bangalore

2304. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Reforms Committee has agreed for setting up of a South West Railway Zone with Bangalore as Headquarters; and

(b) if so, by when this work will be started?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) Due to severe financial constraints, the Railways are not considering creation of any new zone for the present.